HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10088/2025

Dilawar Khan S/o Ismail, Aged About 48 Years, R/o Village Belaka, Police Station Vaishali Nagar, Alwar (At Present In Central Jail In Judicial Custody Since 14.02.2025)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Surana Sr. Adv. assisted by Ms.Muskan Verma Mr. Umang Jain Mr. Anuj Rohila Mr. Siddarth Sogani
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP Mr. Rinesh Kumar Gupta Mr. Saurabh Pratap Singh Chouhan Mr. Ashutosh Singh Naruka

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना नारायणपुर जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 176/2024 अपराध अंतर्गत धारा 191(2), 190, 115(2), 126(2), 109(1), 103(1), 191(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अवश्य दर्ज है परंतु जब अन्वेषण किया गया तो कॉल डिटेल एवं कॉल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी उपस्थिति अपराध के समय घटनास्थल पर थी ही नहीं। उनका तर्क है कि अनुसंधान के पश्चात् उसे केवल उक्त

अपराधों का षड्यंत्र करने का ही दोषी माना गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो चक्षुदर्शी साक्षीगण बताए गए हैं, उनमें परमेंदर एवं जितेन्द्र कुमार के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन हुए हैं जिसमें किसी भी अभियुक्त को पहचानने से इन्कार किया है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में एक अन्य व्यक्ति इरफान का नाम था परंतु उसके विरूद्ध कोई आरोप–पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, केवल उसकी सूचना के आधार पर तथाकथित षड्यंत्र किए जाने के स्थान का नक्शा मौका उसकी निशादेही से बनाया गया है, अन्य कोई साक्ष्य उसके विरूद्ध नहीं है। उनका तर्क है कि वास्तव में यासीन खान की मृत्यु उक्त घटना में आई चोटों के कारण नहीं हुई है क्योंकि जो भी चोटें कारित हुई हैं वे हाथ व पैरों पर हुई हैं, शरीर के मार्मिक भाग पर कोई चोट कारित नहीं हुई है और यासीन की मृत्यु वास्तव में उसके उपचार में हुई चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है क्योंकि उपचार के लिए अस्पताल में जब वह भर्ती था तो उसे उल्टी हुई एवं वे उसके फेंफड़ों में चली गईं। प्रार्थी की घटनास्थल पर कोई उपस्थिति नहीं है। उसके विरूद्ध जिन अपराधों में आरोप–पत्र पेश हुआ है उन्हीं में एक अन्य अभियुक्त अशोक के विरूद्ध भी आरोप–पत्र पेश हुआ था जिसको जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.02.2025 से अभिरक्षा में है। आरोप–पत्र पेश हो चुका है। उसके विरूद्ध एक अन्य प्रकरण 13 आरपीजीओ का रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः उसे जमानत का लाभ दिया जाए।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय अपने तर्कों के समर्थन में पेश किए गए हैं:–

1. भागमल–बनाम–राजस्थान राज्य
   एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 14183/2024
2. रामावतार–बनाम–राजस्थान राज्य
   एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 11639/2023
3. तरूण चतुर्वेदी–बनाम–राजस्थान राज्य
   खण्डपीठ आपराधिक अपील संख्या 301/2011
4. दीपकभाई जगदीश चन्द्र–बनाम–गुजरात राज्य एवं अन्य

आपराधिक अपील संख्या 714/2019

5. नेकू एवं अन्य–बनाम–राजस्थान राज्य

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 8664/2021

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है और उसका घटना में शामिल होने वाले तथा चोटें कारित करने वाले व्यक्तियों में नाम है। उनका कहना है कि मृतक यासीन के शरीर पर 15 चोटें थीं और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना बताया गया है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। उनका यह भी तर्क है कि सहअभियुक्तगण करवेन्द्र, अरशद एवं महाराज सिंह के जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं तथा पूर्व में सहअभियुक्त दीपक को इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया था परंतु उक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त जमानत को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी पुनर्विलोकन याचिका भी निरस्त हो चुकी है, जिसके आदेश की प्रति उन्होंने पेश की है। उनका यह भी तर्क है कि षड्यंत्रकर्ता भी मुख्य अपराध की तरह ही दण्ड पाने का अधिकारी है। वैसे भी प्रार्थी/अभियुक्त का नाम तो एफआईआर में घटना कारित करने वालों में है। परचा बयान एवं साक्षीगण के पुलिस कथनों में भी उसका नाम घटना कारित करने वालों में है। प्रकरण धारा 191(2), 190, 115(2), 126(2), 109(1), 103(1), 191(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के गम्भीर अपराधों का है, अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 191(2), 190, 115(2), 126(2), 109(1), 103(1), 191(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के अभियोग प्रमाणित पाते हुए आरोप–पत्र पेश किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी प्रार्थी/अभियुक्त का मौके पर होना एवं मारपीट करने वालों में शामिल होना अंकित किया गया है। सहअभियुक्तगण करवेन्द्र, अरशद एवं महाराज सिंह के जमानत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं। एक अन्य सहअभियुक्त अशोक जिसकी जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा

स्वीकार की गई थी, उस जमानत आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, जिसकी पुनर्विलोकन याचिका भी निरस्त हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /05